भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3309
दिनांक 07 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

महिलाओं और बच्चों की पोषण संबंधी स्थिति

3309. **श्री जिया उर रहमानः**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पोषण अभियान के तहत बच्चों और गर्भवती महिलाओं की पोषण स्थिति का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान रिपोर्ट किए गए कुपोषण के मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) पोषण में सुधार करने और आंगनवाड़ी सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए कौन-से सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के तहत, आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत लाभार्थियों को प्रदान की जा रही सभी सेवाओं की सतत निगरानी और ट्रैकिंग के लिए आईसीटी आधारित निगरानी तंत्र के रूप में 'पोषण ट्रैकर' डिजिटल एप्लिकेशन शुरू किया गया है। पोषण ट्रैकर के तहत प्रौद्योगिकी का उपयोग 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों में बौनापन, दुबलापन और अल्प वजन की व्याप्तता की निरंतर पहचान के लिए किया जा रहा है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में पोषण संकेतकों की राज्य-वार और वर्ष-वार जानकारी पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड https://www.poshantracker.in/statistics पर उपलब्ध है।
पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करने और आंगनवाड़ी सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं:

- मिशन पोषण 2.0 के तहत, बेहतर पोषण प्रदायगी और ईसीसीई कार्यकलापों के लिए सरकारी भवनों में स्थित दो लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ियों के रूप

में उन्नत करने की स्वीकृति दी गई है। ये सक्षम आंगनवाड़ियां एलईडी स्क्रीन, जल शोधक प्रणाली, पोषण वाटिका, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा सामग्री तथा भवन की दीवारों पर चित्रकारी के जरिए शिक्षा जैसी बेहतर अवसंरचना से सुसज्जित हैं।

- बच्चों (6 माह से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निहित पोषण मानकों के अनुसार पका हुआ गर्म भोजन (एचसीएम) और टेक-होम राशन (टीएचआर) के रूप में पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। गंभीर तीव्र कुपोषण से ग्रस्त बच्चों को टेक-होम राशन के रूप में अतिरिक्त पोषण भी प्रदान किया जाता है।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण को रोकने व उसका इलाज करने तथा उससे जुड़ी रुग्णता एवं मृत्यु दर को कम करने के लिए बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन हेतु संयुक्त रूप से प्रोटोकॉल जारी किया है।
- मिशन पोषण 2.0 अग्रणी कार्यकर्त्रियों (फ्रंटलाइन वर्कर्स) को डेटा रिचार्ज सुविधा के साथ स्मार्टफोन प्रदान करके समर्थ बनाता है। इसके अलावा, पंजीकृत लाभार्थियों की नियमित विकास निगरानी के लिए प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में विकास निगरानी उपकरण अर्थात इन्फेंटोमीटर, स्टेडीयोमीटर, शिशु वज़न मापी यंत्र और माता व बच्चों के वज़नमापी यंत्र की व्यवस्था है।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां पोषण परामर्श, देखभाल संबंधी मार्गदर्शन और प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास को बढ़ावा देकर गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और छोटे बच्चों (0-3 वर्ष) की सहायता के लिए सुनियोजित गृह दौरे करती हैं।
- किए गए प्रमुख कार्यकलापों में से एक, जन आंदोलन (क्रमशः सितंबर और मार्च-अप्रैल के महीनों में मनाए जाने वाले पोषण माह और पोषण पखवाड़ा) के रूप में सामुदायिक जुटाव और जागरूकता प्रचार-प्रसार है, जिसका उद्देश्य लोगों को पोषण संबंधी पहलुओं के बारे में जागरूक किया जा सके, क्योंकि पोषण की अच्छी आदतों को अपनाने के लिए व्यवहार परिवर्तन हेतु निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है।
- स्थानीय व मौसमी फलों और सब्जियों के उपभोग को बढ़ावा देने के लिए देश भर के आंगनवाड़ी केंद्रों में मिशन पोषण 2.0 के तहत पोषण वाटिकाएं स्थापित किए गए हैं, जिससे आहार विविधता में सुधार हो और सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपभोग बढ़े।
